

अध्याय-5
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)
की कार्यपद्धति

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति

परिचय

5.1 31 मार्च 2019 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जोकि विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम 1967-68 तथा 2018-19 की अवधि के दौरान गठित किए गए थे तथा इनमें 21 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश वित्त निगम एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को सम्मिलित किया गया था। 21 सरकारी कम्पनियों में तीन⁶⁰ कम्पनियां अकार्यशील हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁶¹ को गठित किया गया था।

राज्य सरकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने केवल 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁶² में निधियों का निवेश किया।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

5.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर तथा मार्च 2019 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि हेतु वर्तमान मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ब्यौरा दर्शाती है:

तालिका 5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,821.02	3,400.40
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वास्तविक वर्तमान मूल्यों पर)	1,03,772	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति टर्नओवर का प्रतिशत	2.22	2.16	2.18	2.04	2.21

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के 2018-19 के बजट विश्लेषण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों तथा कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

विगत वर्ष की तुलना में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 2014-19 की अवधि के दौरान टर्नओवर की वृद्धि 2.84 प्रतिशत तथा 20.54 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.97 प्रतिशत व 11.20 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 10.34 प्रतिशत था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास विभिन्न समयावधियों पर विकास दर मापने के लिए उपयोगी पद्धति है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 10.34 प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में विगत पांच वर्षों के दौरान कम 10.20 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 2014-15 में 2.22 प्रतिशत से 2018-19 में 2.21 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई।

⁶⁰ एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया सीमित, हिमाचल वर्सटेड मिल्स सीमित व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज सीमित जिन्होंने अपने प्रचालन बंद कर दिए।

⁶¹ शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित एंड शिमला स्मार्ट सिटी सीमित

⁶² धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित, शिमला स्मार्ट सिटी सीमित, हिमाचल परामर्श संगठन सीमित, शिमला जल-प्रबंधन सीमित और हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

5.3 कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसी निश्चित सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से देने के लिए तैयार नहीं होते, राज्य सरकार के साधन के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति का विश्लेषण पांच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में है; के अन्तर्गत किया गया है। 31 मार्च 2019 तक राज्य के इन 23 सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दर्शाया गया है:

5.4 31 मार्च 2019 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी	कुल	
		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य
कृषि एवं संबद्ध	4	76.55	10.50	127.82	1.49	69.17	273.54	11.99
वित्तीय	4	131.41	6.69	77.88	34.08	5.31	214.60	40.77
अवसंरचना	4	55.82	-	-	-	1,914.00	1,969.82	-
विनिर्माण	2	7.04	1.04	2.97	-	-	10.01	1.04
सेवा	9	793.82	15.65	0.55	132.87	3,203.10	3,997.47	148.52
योग	23	1,064.64	33.88	209.22	168.44	5,191.58	6,465.44	202.32

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों को ही लिया गया है।

31 मार्च 2019 तक इन 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 6,667.76 करोड़ का कुल निवेश (इक्विटी, दीर्घावधि ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी) था। इक्विटी में 16.48 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण में 5.66 प्रतिशत तथा अनुदान/सब्सिडी में 77.86 प्रतिशत निवेश हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अग्रिम रूप से प्रदान किए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 55.40 प्रतिशत (₹ 209.22 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 44.60 प्रतिशत (₹ 168.44 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

निवेश 2014-15 में ₹ 3,626.53 करोड़ से 83.86 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 6,667.76 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2018-19 के दौरान निवेश में वृद्धि इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदान/सब्सिडी में क्रमशः ₹ 204.79 करोड़ ₹ 71.50 करोड़ एवं ₹ 2,764.94 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

5.5 वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

5.6 हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/सब्सिडियों, ऋणों को बट्टे खाते में डालना तथा वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय बहिर्गमन का

सारांशित विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ⁶³	2016-17		2017-18		2018-19	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी बहिर्गमन (i)	3	46.50	2	50.80	3	62.85
प्रदत्त ऋण (ii)	1	13.06	1	5.44	1	4.10
उपलब्ध करवाए गए अनुदान/सब्सिडी ⁶⁴ (iii)	5	506.53	6	423.63	9	416.36
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)		566.09		479.87		483.31
बट्टे खाते में डाला गया ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियां	5	284.35	5	192.65	5	115.60
गारंटी प्रतिबद्धता	4	230.92	5	277.98	1	0.60

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय बहिर्गमन सम्बन्धित विवरण नीचे ग्राफ 5.1 में दर्शाया गया है:

ग्राफ 5.1: इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों के प्रति बजटीय बहिर्गमन



इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में ₹ 483.31 करोड़ की बजटीय सहायता मुख्य रूप से जनता के लिए मुफ्त/रियायती यात्रा, कौशल विकास और इक्विटी के लिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता की प्राप्ति करने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋणों पर एक प्रतिशत तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है। एक⁶⁵ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 2018-19 के दौरान ₹ 0.01 करोड़ के गारंटी शुल्क का भुगतान किया।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों में बकाया इक्विटी, ऋणों तथा गारंटियों के आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में प्रस्तुत आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के न मिलने की स्थिति में सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2019 तक की प्रास्थिति तालिका 5.4 में बताई गई है:

तालिका 5.4: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटियां

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	103.18	174.75	71.57
ऋण	34.10	184.64	150.54
गारंटियां	226.08	216.84	9.24

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित (विवरण संख्या 18, 19 एवं 20)।

⁶³ राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

⁶⁴ राज्य सरकार द्वारा मुफ्त/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम को अनुदान।

⁶⁵ हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे अंतर हुए जिन्हें **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाया गया है। विगत कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अंतर बना हुआ है। आंकड़ों के अंतर के मिलान का मुद्दा समय-समय पर प्रधान महा-लेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभागों के साथ भी उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के शेषों में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।

अतः अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार तथा सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

5.8 कुल 23 राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में से 20 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् 18 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम तथा तीन अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समय बद्धता के अनुसरण की स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

5.8.1 सभी क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए लेखाओं को 30 सितम्बर 2019 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। हालांकि केवल एक⁶⁶ सरकारी कम्पनी ने 30 सितम्बर 2019 या उसके पहले भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2018-19 तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया।

भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के एकमेव लेखापरीक्षक है और दूसरे सांविधिक निगम (हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम) के पूरक लेखापरीक्षक है। वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

30 सितम्बर 2019 तक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखों की प्रस्तुति का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति से सम्बन्धित प्रास्थिति

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	15	16	17	19	20
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	13	15	17	11	14
3.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने वर्तमान वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया	1	2	3	1	1
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान विगत वर्ष के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	12	13	14	10	13
5.	बकाया लेखाओं सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	14	14	13	18	19
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	21	22	22	30	36
7.	बकाया की सीमा	एक से तीन वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष	एक से पांच वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के इन 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान 14 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिनमें वर्ष 2018-19 हेतु एक वार्षिक लेखा तथा विगत वर्षों हेतु 13 वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित 36 वार्षिक लेखे बकाया थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है। इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी करना तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा अपनाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग का है।

प्रधान महा-लेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सम्बन्धित विभागों को बकाया लेखों को अंतिम रूप देने के सम्बन्ध में तिमाहीवार सूचना दी गई।

⁶⁶ हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 7 को, जिनके लेखाओं को निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, ₹ 413.17 करोड़ (ऋण: ₹ 8.99 करोड़, सॉब्सिडी: ₹ 404.18 करोड़) प्रदान किए । वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण, जिनके लिए लेखे बकाया है, परिशिष्ट 5.3 में दर्शाया गया है:

राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में समयबद्धता

5.8.2 इन तीन अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल वर्सिटेड मिल्स लिमिटेड वर्ष 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी तथा इसके लेखाओं को उस अवधि तक अंतिम रूप दिया जा चुका था। तीन अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकाया था, जिनका विवरण तालिका 5.6 के अनुसार है:

तालिका 5.6: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में बकाया लेखाओं से सम्बंधित प्रास्थिति

क्रमांक	अकार्यशील कम्पनियों के नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे
1.	हिमाचल वर्सिटेड मिल्स लिमिटेड	2001-02 से 2018-19
2.	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	2014-15 से 2018-19
3	हिमाचल प्रदेश बैवरेजिज लिमिटेड	2017-18 से 2018-19

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

5.9 किसी भी निगम ने 2018-19 के अपने लेखों को 30 सितंबर 2019 तक प्रेषित नहीं किया था।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ये प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की स्थिति तथा विधायिका के समक्ष इन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण का विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है:

तालिका 5.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

निगमों के नाम	लेखाओं के वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का माह
हिमाचल पथ परिवहन निगम	2017-18	27 अगस्त 2019
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2017-18	11 दिसम्बर 2018

स्रोत: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

5.10 जैसा कि पैरा 5.8 में कहा गया है, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है और इसके कई परिणाम हैं जैसे कि (i) वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी और राज्य के खजाने में उनकी भागीदारी को भी राज्य विधानमंडल को सूचित नहीं किया जा सका, (ii) इसके परिणामस्वरूप सुसंगत नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त लोकधन का रिसाव तथा धोखाधड़ी हो सकती है, (iii) लेखों को अंतिम रूप देने एवं तत्पश्चात् लेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निगरानी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी, (iv) यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेश और व्यय को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया उसे प्राप्त किया गया था इसके अतिरिक्त सुसंगत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन न होने को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से निगरानी करने तथा बकाया लेखाओं के परिसमापन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है। सरकार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के निर्माण में बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं के परिसमापन हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन


5.11 30 सितम्बर 2019 तक राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम परिशिष्ट 5.4 में विवेचित किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल की प्राप्ति अपेक्षित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 6,667.76 करोड़ था जिसमें ₹ 1,098.52 करोड़ की इक्विटी,

₹ 377.66 करोड़ के दीर्घावधि ऋण एवं ₹ 5,191.58 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी थे। इसमें से ₹ 1,273.86 करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जिसमें ₹ 1,064.64 करोड़ की इक्विटी और ₹ 209.22 करोड़ के दीर्घावधि ऋण के अतिरिक्त ₹ 5191.58 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी शामिल है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश का वर्ष वार विवरण चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का कुल निवेश




सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का कुल निवेश 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 1.56 गुना बढ़ा, जैसा कि चार्ट 5.2 में दिखाया गया है।

5.12 एक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से मूल्यांकन निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

निवेश पर प्रतिफल

5.13 (क) निवेश पर प्रतिफल सकल निवेश पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होता है। राज्य के 16 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर अर्जित लाभ/उठाई गई हानियों⁶⁷ की समग्र स्थिति निम्न चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट 5.3: वर्ष के दौरान 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां



⁶⁷ आंकड़े प्रासंगिक वर्ष के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हैं।

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों कानवीनतम वर्ष का वित्तीय परिणाम जिनके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, **परिशिष्ट 5.4** में सारांशित किया गया है।

31 मार्च 2019 तक 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 2014-15 से 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 5.8: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण जिन्होंने 2014-15 से 2018-19 के दौरान उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने उनका प्रथम लेखा नहीं बनाया अथवा जो न लाभ न हानि पर चल रहे हैं
2014-15	15	6	8	1
2015-16	16	9	5	2
2016-17	17	12	3	2
2017-18	19	11	5	3
2018-19	20	11	5	4 ⁶⁸

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जानकारी।

(ख) सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों से संबंधित निवेश पर प्रतिफल

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी⁶⁹ सूचीबद्ध थी, हालांकि कंपनी के अनुरोध पर (1994) और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिश पर सिक्वोरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को सूची से हटाने की सहमति दी (सितंबर 2002)। अतएव, कंपनी के प्रदर्शन का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

निवेश पर प्रतिफल एक प्रदर्शन सूचकांक है जिसे वैकल्पिक निवेश अवसरों या बेंचमार्क निवेश अवसर की तुलना में समय के साथ निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का प्रतिफल

5.14 राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से में राज्य सरकार ने मात्र 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेशित की। सरकार ने ₹ 1,064.64 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 209.22 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों सहित इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 1,273.86 करोड़ निवेशित किए।

निवेश पर प्रतिफल की गणना राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है, क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और पुनर्भुगतान के नियम व शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान किए जाने हेतु देय ऐसे ऋणों को छोड़कर सरकार द्वारा किए गए इक्विटी निवेश के रूप में होते हैं। ₹ 209.22 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 63.45 करोड़ के ब्याज रहित ऋण थे इस प्रकार, इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 1,128.59 करोड़ (इक्विटी ₹ 1,064.64 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋण 63.95 करोड़) था जैसा कि तालिका 5.9 में वर्णित है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित निवेश का प्रतिफल तालिका 5.9 में दर्शाया गया है:

⁶⁸ धर्मशाला स्मार्टसिटी सीमित, शिमला स्मार्टसिटी सीमित तथा शिमला जल प्रबन्धन निगम सीमित ने अपने पहले अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने अपने लेखाओं को न लाभ न हानि के आधार पर अन्तिम रूप दिया था।

⁶⁹ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित।

तालिका 5.9: निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

वर्ष	कुल अर्जन (₹ करोड़ में)	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋणों के रूप में निवेश (₹ करोड़ में)	ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का प्रतिफल (प्रतिशत)
2014-15	-98.93	881.38	-11.22
2015-16	-175.79	939.19	-18.72
2016-17	23.87	996.32	2.39
2017-18	-84.08	1,055.15	-7.97
2018-19	- 100.71	1,128.59	- 8.92

स्रोत: सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार।

राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल राज्य सरकार के निवेशों की लागत से इन सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अर्जन⁷⁰ को विभाजित करके निकाला जाता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल -18.72 प्रतिशत से 2.39 प्रतिशत के मध्य रहा। मुख्य रूप से हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटों में वृद्धि के कारण राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल का 2016-17 की अवधि के प्रतिफल की तुलना में 2018-19 की अवधि के दौरान घट गया।

(क) निवेश का वर्तमान मूल्य

5.15 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता के आकलन हेतु राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जहां राज्य सरकार द्वारा निधियों का प्रयोग किया गया था, के सन्दर्भ में निवेश की तुलना में अर्जन का विश्लेषण किया गया। प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत पर आधारित होने से निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता को भली प्रकार से सूचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी गणनाएं धन के वर्तमान मूल्य को उपेक्षित कर देती है। इसलिए इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है। सब्सिडी/अनुदानों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से परिसम्पत्ति के निर्माण एवं कौशल विकास हेतु जनसाधारण को निःशुल्क/ रियायती यात्रा, सीमान्त समाज को ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया है।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर की गई:

- राज्य सरकार द्वारा ब्याज रहित ऋणों को निधियों का निवेश करने के रूप में माना गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति में वर्तमान मूल्य की गणना उस अवधि में ब्याज रहित ऋणों के कम किए गए शेषों पर की गई। अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियां निवेश के रूप में नहीं मानी गई हैं क्योंकि ये निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं जैसा कि ऊपर दर्शाई गई सब्सिडी की प्रकृति द्वारा दर्शाया गया है।

वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए सम्बंधित वित्तीय वर्ष⁷¹ हेतु सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को छूट की दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के लिए सरकार द्वारा निवेशित निधियों के प्रति खर्च हुई लागत को प्रस्तुत करता है।

सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निवेश के ऐतिहासिक मूल्य से तुलना के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल की दर के आकलन के लिए की गई है। 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में अपने वर्तमान मूल्य तक निवेश की ऐतिहासिक लागत लाने के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की दरों की वर्ष-वार औसत पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में विगत निवेश/वर्ष-वार निवेशित निधियों को मिश्रित किया गया है जो कि सम्बन्धित वर्ष हेतु सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना गया है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के आरम्भ से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना उन 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

⁷⁰ इसमें सम्बन्धित वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निवल लाभ/हानियां सम्मिलित हैं जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

⁷¹ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्षों के लिए राज्य वित्त (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से ली गई थी जिसमें $\text{चुकाए गए ब्याज हेतु औसत दर के लिए गणना} = \text{ब्याज भुगतान} / \text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं} / 2] * 100$.

के सम्बन्ध में की गई थी, जहाँ राज्य सरकार द्वारा इक्विटी तथा ब्याज मुक्त ऋणों (राज्य सरकार से परिचालन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु कोई भी अनुदान/सब्सिडियां प्राप्त नहीं हुई) के रूप में निधियों का निवेश किया गया है।

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2017-18 तथा 2018-19 में जब इन 18 कम्पनियों में घाटे हुए, तो निष्पादन का और अधिक उपयुक्त माप हानियों के कारण नेटवर्थ का क्षरण है। कम्पनी के नेटवर्थ क्षरण पर परिच्छेद 5.17 में टिप्पणी की गई है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

5.16 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्य के इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति **परिशिष्ट 5.5** में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि हेतु इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 5.10 में दर्शाई गई है:

तालिका 5.10: 1999-2000 से 2018-19 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/सब्सिडियां	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा अंकित मूल्य परविनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशतमें)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत वसूल करने के लिए सम्भावित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष हेतु कुल अर्जन
क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	
							च=ज+घ- ड+च-झ	झ=ख+ज		ट=झ*(झ+ज /100)	ठ=झ*ज/ 100	
तक 1999-2000	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.71	36.65	-49.50
2001-02	397.71	13.01	-	-	-	-	13.01	410.72	11.06	456.14	45.43	-36.70
2002-03	456.14	12.43	-	-	-	-	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19
2003-04	517.16	28.60	-	-	-	-	28.60	545.76	10.98	605.69	59.92	-31.10
2004-05	605.69	16.06	-	-	-	-	16.06	621.75	10.60	687.65	65.91	-43.44
2005-06	687.65	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72
2006-07	765.92	14.30	-	-	-	-	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08
2007-08	853.56	38.31	2.25	-	-	-	40.56	894.12	9.09	975.40	81.28	-46.66
2008-09	975.40	53.97	-0.10	-	-	-	53.87	1,029.27	9.19	1,123.86	94.59	-33.88
2009-10	1,123.86	117.16	-	-	-	-	117.16	1,241.02	8.59	1,347.62	106.60	-55.92
2010-11	1,347.62	34.61	-	-	-	-	34.61	1,382.23	7.78	1,489.77	107.54	-38.15
2011-12	1,489.77	26.94	9.50	-	-	-	36.44	1,526.21	7.80	1,645.25	119.04	-72.06
2012-13	1,645.25	45.76	5.00	-	-	-	50.76	1,696.01	8.08	1,833.05	137.04	-88.46
2013-14	1,833.05	67.49	2.54	-	-	-	70.03	1,903.08	7.71	2,049.81	146.73	-112.41
2014-15	2,049.81	44.93	-	-	-	-	44.93	2,094.74	7.91	2,260.43	165.69	-98.97
2015-16	2,260.43	43.27	14.54	-	-	-	57.81	2,318.24	7.95	2,502.54	184.30	-175.83
2016-17	2,502.54	48.04	10.07	-	-	-	58.11	2,560.65	7.60	2,755.26	194.61	23.87
2017-18	2,755.26	50.80	8.00	-	-	-	58.80	2,814.06	7.71	3,031.03	216.96	-84.08
2018-19		62.85	10.00	-	-	-	3,031.03	3,103.88	8.32	3,362.12	258.24	-100.71
कुल:	1064.64	63.95										

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

नोट- राज्य सरकार से परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुआ था।

1999-2000 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निधियों की लागत की वसूली के लिए वर्ष की कुल अर्जन न्यूनतम अपेक्षित वास्तविक दर से नीचे रहा, क्योंकि इनमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) को इस अवधि में काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा, 1999-2019 की अवधि के दौरान अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ भी इन दो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए नुकसान की ओर रखा गया था, जिसके कारण इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों से अपेक्षित कुल आय कम रही।

नेटवर्ध का क्षरण

5.17 नेट वर्ध का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष (प्रदत्त पूंजी + मुक्त भण्डार + अधिशेष - संचित हानियां + आस्थगित राजस्व व्यय)। वास्तव में यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्ध दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार इन 23 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजीगत निवेश एवं संचित घाटे क्रमशः ₹ 1,039.51 करोड़ तथा ₹ 1,566.99 करोड़ थे जिसका परिणाम ₹ -517.48 करोड़ के नेट वर्ध में हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में विवेचित है।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की गई ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 18 कम्पनियों की कुल भुगतान की गई पूंजी, कुल संचित लाभ/हानि तथा कुल निवल मूल्य को निम्न तालिका दर्शाती है:

तालिका 5.11:2014-15 से 2018-19 के दौरान 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्ध

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत तक भुगतान की गई पूंजी	वर्ष के अंत तक संचित लाभ (+) हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्ध
2014-15	844.63	-1,190.75	-	-346.12
2015-16	885.27	-1,366.15	-	-480.88
2016-17	930.73	-1,187.79	-	-257.06
2017-18	976.46	-1,445.90	-	-469.44
2018-19	1,038.41	-1,553.07	-	-514.66

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁷² ने 2018-19 के दौरान धनात्मक नेट वर्ध दर्शाया तथा सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁷³ ने नकारात्मक निवल मूल्य दर्शाया।

23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नेटवर्ध (ऊपर चर्चा की गई सात में हिमाचल वर्सिटेड मिल्स लिमिटेड को मिलाते हुए) वर्ष 2018-19 के दौरान ऋणात्मक थी।

लाभांश भुगतान

5.18 राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अप्रैल 2011) कि समस्त लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं, को छोड़कर) को राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त प्रदत्त पूंजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान कराना अपेक्षित है जो कर के उपरांत लाभ की 50 प्रतिशत की सीमा तक हो सकता है। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 34.24 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र तीन⁷⁴ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2018-19 के दौरान ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया / चुकाया।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जैसा कि अपेक्षित है लाभांश की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

इक्विटी पर प्रतिफल

5.19 इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह आकलित करने के लिए कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ सृजित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयर धारकों की निधि से शुद्ध आय

⁷² हिमाचल प्रदेश एग्री औद्योगिक निगम सीमित, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्तीय और विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज निगम

⁷³ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निगम, हिमाचल पथ परिवहन और एग्री औद्योगिक पैकेजिंग भारत सीमित।

⁷⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित

(अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को विभाजित करके (भाग देकर) की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा किसी भी कम्पनी हेतु इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय तथा शेयर धारकों की निधि, दोनों ही धनात्मक संख्याएं हो।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी एवं निर्बाध आरक्षित निधियां, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह प्रकट करती है कि यदि सभी परिसम्पत्तियां बेच दी जाएं और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देनदारियां परिसम्पत्तियों से अधिक है।

18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थी, इक्विटी पर प्रतिफल की गणना की गई। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 5:12 में दिया गया है:

तालिका 5.12: 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में इक्विटी पर प्रतिफल
जहां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थी

वर्ष	निवल आय	हितधारकों की निधि (नेटवर्थ)	
		(₹ करोड़ में)	
2014-15	-98.97	-346.12	-
2015-16	-175.83	-480.28	-
2016-17	23.87	-257.05	-
2017-18	-84.08	-469.43	-
2018-19	-100.71	-514.66	-

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

5.20 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो एक कम्पनी की लाभ प्रदता तथा दक्षता का माप उसकी नियोजित पूंजी के साथ करता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल⁷⁵ की गणना नियोजित पूंजीद्वारा ब्याज व करों के पूर्व कम्पनी के अर्जित लाभांश से की जाती है। 2014-15 से 2018-19 अवधि के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल का विवरण तालिका 5:13 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.13: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभ	नियोजित पूंजी	
		(₹ करोड़ में)	
2014-15	-99.33	259.42	-38.29
2015-16	-177.91	-58.56	लागू नहीं
2016-17	23.87	226.04	10.56
2017-18	-69.77	20.87	-334.31
2018-19	-84.69	-101.28	लागू नहीं

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी

चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम लगातार हानि उठा रहे थे। इनमें से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 2016-17 के दौरान लाभ अर्जित किया। इस प्रकार, अंतिम पाच वर्षों में से (2016-17 को छोड़कर) चार साल पूंजी नियोजन पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा।

75 नियोजित पूंजी = प्राप्त पूंजी का अंश + फ्री रिजर्व व अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़ें नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

5.21 2014-15 से 2018-19 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। यह आकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज कवरेज अनुपात

5.22 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान क्षमता के निर्धारण के लिए तथा इसकी गणना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उसी अवधि के ब्याज खर्चों से, ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभांश को विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता उतनी ही कमतर होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने ब्याज के खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं कर रहे। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे तालिका 5.14 में दिया गया है:

तालिका 5.14: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन पर सरकार, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है
	(₹ करोड़ में)	(संख्या में)			
2014-15	18.45	-99.33	11	-	11
2015-16	40.35	-177.91	10	-	10
2016-17	36.00	23.87	12	-	12
2017-18	35.05	-69.77	12	-	12
2018-19	40.70	-84.69	12	-	12

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

ऋण टर्नओवर अनुपात

5.23 विगत पांच वर्षों के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10.20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज हुआ तथा ऋण का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 1.87 प्रतिशत था जिसके कारण ऋण टर्नओवर का अनुपात 2014-15 में 0.18 से 2018-19 में घटकर 0.13 रह गया जैसा कि तालिका 5.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.15: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में ऋण टर्नओवर अनुपात

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार तथा अन्य (बैंक व वित्तीय संस्थाएं) से ऋण	407.23	426.84	395.84	492.30	438.52
टर्नओवर	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,826.45	3,400.40
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.18:1	0.17:1	0.14:1	0.17:1	0.13:1

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

5.24 राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 3 अकार्यशील कम्पनियां भी थी जिनमें 31 मार्च 2019 तक ₹ 79.79 करोड़ (एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड में ₹ 77.87 करोड़ तथा हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड में ₹ 0.92 करोड़ और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड में ₹ 1.00 करोड़) का कुल निवेश था। 31 मार्च 2019 की समाप्ति से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तालिका 5.16 में दी गई है:

तालिका 5.16: राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अकार्यशील कम्पनियों की संख्या	2	2	2	2	3

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में सम्मिलित जानकारी से संकलित।

हिमाचल वसंटेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थी जबकि हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड के सम्बंध में परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी। सरकार को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में उचित निर्णय लेना चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां

5.25 12 क्रियाशील कम्पनियों ने 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश को 13 लेखापरीक्षित लेखें अग्रेषित किए। सभी लेखाओं का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की बहुत आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का विवरण निम्नवत् है:

तालिका 5.17: क्रियाशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	1.72	5	5.29	4	3.76
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.09	1	0.28	3	18.55
3.	हानि में वृद्धि	1	0.06	2	0.66	1	9.44
4.	हानि में कमी	2	0.70	-	-	1	0.19
5.	भौतिक तथ्यों का गैर प्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	-	-	-	-

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखाओं पर क्वालीफाईड तथा पांच लेखाओं पर विपरीत प्रमाण पत्र जारी किए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब ही रही क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों की गैर-अनुपालना के पांच उदाहरणों का उल्लेख किया।

5.26 राज्य में दो सांविधिक निगम अर्थात (क) हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा (ख) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है।

दोनों कार्यशील सांविधिक निगमों ने वर्ष 2018-19 के लिए 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान वार्षिक खातों को अग्रेषित नहीं किया।

सांविधिक निगमों के संदर्भ में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्य का विवरण निम्नवत् है:

तालिका 5.18: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	2.50	-	-	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	1	34.90	1	18.99
4.	हानि में कमी	1	0.47	1	0.36	1	0.16
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-

स्रोत: सांविधिक निगमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

5.27 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के लिए हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बंधित 6 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों को प्रत्युत्तर की प्रस्तुति के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद में से पांच पर राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इन अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 15.48 करोड़ था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

5.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समिति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे।

तालिका 5.19: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं परिच्छेद		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या जिनकी स्पष्टिकरण टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2017-18	14 दिसम्बर 2019	-	7	-	7

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

सातों अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

5.29 30 सितम्बर 2019 तक निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, की अवस्था नीचे दी गई है:

तालिका 5.20: 30 सितम्बर 2019 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए हैं एवं जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2011-12	-	8	-	8
2012-13	-	7	-	7
2013-14	-	5	-	5
2014-15	1	3	1	3
2015-16	1	2	1	1
2016-17	-	4	-	1
2017-18	-	7	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक उपक्रम समिति की परिचर्चा के आधार पर संकलित।

2012-13 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर परिचर्चा पूर्ण कर ली गई थी।

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

5.30 मार्च 2018 तथा फरवरी 2019 के मध्य राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए गए लोक उपक्रम समिति के चार प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने सम्बंधी टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) जो कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित थे, प्राप्त नहीं हुए (31 मार्च 2020) जैसा कि तालिका 5.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.21: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2014-15	4	23	-
2015-16	4	10	-
2016-17	4	8	8
2017-18	5	31	5
2018-19	-	-	-

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्राप्त एक्शन टेकन नोट्स के आधार पर संकलित।

ऊपर दर्शाई गई लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में एक्शन टेकन नोट्स मार्च 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

इस भाग में ₹ 15.48 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ युक्त छः अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद हैं।

हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड

5.31 प्रणालीगत कमियों के कारण अवसूली

लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई राशि के दैनिक/मासिक मिलान के लिए तंत्र का अभाव, कंपनी को भुगतान जमा किए बिना नकली/छेड़छाड़ युक्त यूनीक ट्रांजेक्शन रेफरेंस (यूटीआर) का उपयोग कर के शराब के स्टॉक (₹ 3.79) करोड़ का उठाव एवं उधार आधार पर शराब (₹ 5.90 करोड़) की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

राज्य में शराब के थोक कारोबार को विनियमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड (कंपनी) को निगमित (अप्रैल 2016) किया गया था। कंपनी ने जुलाई 2016 में अपना परिचालन शुरू किया था। कंपनी की शराब बिक्री नीति 2016-17 के पैरा 4.1 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी द्वारा प्राधिकृत विभिन्न बैंक शाखाओं में चालान/रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से कंपनी के खाते में इंटरनेट बैंकिंग या प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से 'ई' भुगतान पर स्टॉक जारी किया जाएगा। नकद/भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट/चेक को डिपो द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना था और किसी उधार बिक्री की अनुमति नहीं थी। तदनुसार, संबंधित डिपो प्रबंधकों को अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद ही खुदरा लाइसेंसधारकों को शराब बेचनी होती थी। नीति को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी, जिसमें खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा दैनिक आधार पर जमा की गई राशि की बैंक स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से सभी डिपो प्रबंधकों को भेजना शामिल था। खुदरा लाइसेंसधारकों को बैंक स्टेटमेंट से सत्यापन करने के बाद, कि खुदरा लाइसेंसधारको ने अपेक्षित राशि जमा कर दी थी, स्टॉक जारी किया जाना था। इसके अलावा, लाइसेंसधारकों को चालान जारी करने के लिए कंपनी के खाते में धन के हस्तांतरण के समर्थन में अपने बैंक द्वारा बनाया गया अपना संबंधित यूनीक ट्रांजेक्शन रेफरेंस (यूटीआर) नंबर प्रस्तुत करना होता था।

लेखापरीक्षा में शराब बिक्री नीति के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित विचलन एवं कमियां पाई गईं:

- यद्यपि बैंक स्टेटमेंट (लाइसेंसधारकों द्वारा जमा की गई राशि को दर्शाने वाली) दैनिक आधार पर डिपुओं में भेजे जा रहे थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि लाइसेंसधारक किस डिपो से सामग्री उठाएंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में लाइसेंसधारक एक यूटीआर के प्रति एक से अधिक डिपो से स्टॉक उठा सकते थे।

- कंपनी ने लाइसेंसधारकों के बही खातों का मिलान करते हुए (जून 2017) देखा कि अगस्त 2016 से मार्च 2017 के दौरान आठ लाइसेंसधारकों ने एक से अधिक डिपो से स्टॉक उठाने के लिए ₹ 3.38 करोड़ के 84 यूटीआर को इस्तेमाल किया और सात लाइसेंसधारकों ने ₹ 1.43 करोड़ के लिए 42 फर्जी/छेड़छाड़ युक्त यूटीआर प्रस्तुत किए।

II. डिपो प्रबंधकों द्वारा जारी स्टॉक के दैनिक मिलान एवं उसके प्रति प्राप्त भुगतान हेतु कंपनी के लेखा विंग द्वारा कोई आंतरिक नियंत्रण/निगरानी तंत्र नहीं बनाया गया था।

- बारह⁷⁶ डिपो प्रबंधकों ने दैनिक बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना 19 खुदरा लाइसेंसधारकों को स्टॉक जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2016 से मार्च 2017 के दौरान उधार आधार पर ₹ 6.76 करोड़ मूल्य की शराब का स्टॉक जारी किया गया।

कंपनी जून 2020 तक ₹ 11.57 करोड़ (₹ 3.38 करोड़ + ₹ 1.43 करोड़ + ₹ 6.76 करोड़) के कुल बकाए में से ₹ 1.88 करोड़ ही वसूल सकी, जिससे ₹ 9.69 करोड़ का बकाया छूट गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितंबर 2018) में बताया कि डिपो प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है और लाइसेंसधारकों के साथ धोखाधड़ी के संबंध में सिविल मुकद्दमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर्याप्त स्टाफ और काम की अधिकता के कारण डिपो प्रबंधकों ने खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत डुप्लीकेट यूटीआर के आधार पर स्टॉक जारी किया था। यह भी कहा गया कि 16 नवंबर 2016 से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू की गई है, उसके बाद ऐसे मामलों को कम किया गया है।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एक से अधिक डिपों में एक ही यूटीआर का उपयोग करने के 84 मामलों में से 47 मामले ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद की अवधि से संबंधित हैं। इसी प्रकार, फर्जी/छेड़छाड़ युक्त यूटीआर से संबंधित 42 मामलों में से 41 ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद हुए थे।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (सितंबर 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

सिफारिश: विभाग क्षेत्र इकाइयों द्वारा बेचे गए स्टॉक के साथ डिजिटल रूप से प्राप्त राशि के दैनिक मिलान की एक प्रणाली लागू करें।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

5.32 कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने अंशदान की निर्धारित दर से अधिक दर पर कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ का अधिक अंशदान हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 ने 22 सितंबर 1997 से प्रभावी 1998 के अधिनियम 10 के माध्यम से भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान की दरों को मजदूरी के 8.33 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से संशोधित करके क्रमशः 10 प्रतिशत⁷⁷ और 12 प्रतिशत⁷⁸ किया। भारत सरकार की 9 अप्रैल 1997 की अधिसूचना⁷⁹ के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रतिष्ठान के लिए, जिसके लिए किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि अपने पूरे नेटवर्थ से अधिक हो गई है और ऐसे वित्तीय वर्ष में एवं निकटतम पूर्ववर्ती⁸⁰ वित्तीय वर्ष में नकद नुकसान⁸¹ भी उठाना पड़ा है, के लिए बढ़ी हुई दर लागू नहीं थी।

⁷⁶ बड़ी, भट्टाकुंफर, तारादेवी, नगरोटा, जलग्राम, मुसेवल, राजा-का-बाग, देयोघाट, सोलन, ठियोग, सुन्दरनगर एवं हमीरपुर।

⁷⁷ कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 6 एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) के अनुसार, धारा 6 के प्रथम प्रावधान में सम्मिलित किये गये के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थानों के संदर्भ में कर्मचारियों का अंशदान कम दरों (अर्थात् 10 प्रतिशत) पर प्रयोज्य था।

⁷⁸ अधिनियम की धारा 6 का प्रथम प्रावधान प्रदान करता है कि केन्द्र सरकार यथोचित जांच करने के पश्चात कार्यालय राजपत्र की अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि संस्थान या संस्थानों की श्रेणी के संदर्भ में कर्मचारी अंशदान की दर 10 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत होगी।

⁷⁹ अधिनियम की धारा 6 के प्रथम प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 1997 को जारी अधिसूचना संख्या एसओ 320 (ई)।

⁸⁰ प्रदत्त पूंजी + मुक्त भण्डार तथा अगोचर परिसम्पत्ति को घटाते हुए अधिशेष।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मार्च 2019) कि मार्च 2014 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) का नुकसान इसकी नेटवर्थ से अधिक हो गया था। वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान कंपनी का संचित घाटा अपने नेटवर्थ से अधिक बना रहा और कंपनी को नकदी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस प्रकार कंपनी को भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 12 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से करना था। जबकि, कंपनी ने 12 प्रतिशत की दर से योगदान करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 2.87 करोड़ का अतिरिक्त अंशदान हुआ।

प्रबंधन ने (नवंबर 2019) बताया कि कंपनी तथ्यात्मक मजदूरी के बजाय प्रतिबंधित मजदूरी पर 12 प्रतिशत की दर से अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि की दिशा में नियोक्ता हिस्सेदारी का अंशदान कर रही है।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने दिनांक 9 अप्रैल 1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार कम्पनी से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम मजदूरी पर नियोक्ता का अंशदान करना तथा यह भी कि केवल 10 प्रतिशत की रियायती दर पर करना अपेक्षित था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2019), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

सिफारिश: कंपनी को कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान की रियायती दरों का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित

5.33 कर्मचारियों को वित्तीय लाभ

कंपनी ने बोनस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 12.76 लाख की स्वीकार्य राशि के प्रति अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में ₹ 58.20 लाख का भुगतान किया।

2015 में संशोधित बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (अधिनियम), जो प्रत्येक कारखाने एवं अन्य प्रतिष्ठान जिसमें लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है पर लागू होता है, के प्रावधानों⁸² के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता अपने प्रत्येक कर्मचारी को वेतन/मजदूरी⁸³ का न्यूनतम बोनस देगा। यदि आबंटन अधिशेष किसी भी लेखांकन वर्ष में देय न्यूनतम बोनस की राशि से अधिक है, तो नियोक्ता कर्मचारी के वेतन/मजदूरी के अनुपात में एक राशि का भुगतान करेगा, जो इस तरह के वेतन या मजदूरी का अधिकतम 20 प्रतिशत होगा। यदि कर्मचारी का वेतन/मजदूरी प्रतिमाह ₹ 7,000 से अधिक है, तो बोनस की गणना केवल ₹ 7,000 प्रतिमाह या न्यूनतम मजदूरी⁸⁴ के आधार पर जो भी अधिक हो की जाएगी। हालांकि, बोनस किसी कर्मचारी को देय नहीं है, यदि उसका वेतन/मजदूरी ₹ 21,000 प्रतिमाह से अधिक है।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2017) में देखा गया कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन/बोनस को विनियमित करने के लिए अलग नीति तैयार नहीं की थी, इसलिए 2015 में संशोधित बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (अधिनियम) के प्रावधान कंपनी पर लागू थे। हालांकि, 2015-17 के दौरान कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक⁸⁵ सहित सभी कर्मचारियों को वेतन की राशि पर ध्यान दिए बिना, ₹ 25,000 की अधिकतम सीमा सहित बोनस का भुगतान किया। कंपनी ने बोनस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 12.76 लाख की स्वीकार्य राशि के मुकाबले प्रबंध निदेशक सहित अपने सभी कर्मचारियों को ₹ 58.20 लाख बोनस का भुगतान किया, बावजूद इसके कि प्रबंध निदेशक कंपनी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा था और उसने 2015-17 के दौरान एक महीने के लिए भी कंपनी से वेतन नहीं लिया था। परिणामतः कर्मचारियों को ₹ 45.44 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2017) कि कंपनी की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के अधिकांश कर्मचारी बोनस अधिनियम की सीमा से बाहर है, निदेशक मण्डल (बीओडी) के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों और श्रमिकों को बोनस का भुगतान किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि भुगतान को अधिकतम ₹ 25,000 के बोनस की शर्त पर वेतन के 20 प्रतिशत की दर से सीमित किया गया है।

⁸¹ मुल्य ह्रास न करते हुए हानि।

⁸² खण्ड 8, 9, 11 एवं 12

⁸³ समयोपरि कार्यों को छोड़कर सभी प्रतिपूर्ति एवं भत्ते।

⁸⁴ समय-समय पर सरकार द्वारा नियम श्रेणी पर न्यूनतम मजदूरी।

⁸⁵ प्रबंध निदेशक ने 2015-17 के दौरान मात्र 14 दिनों के लिए ₹74,083 वेतन का आहरण किया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशक मण्डल बोनास अधिनियम के अधिकारातीत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सीमा है। ₹ 7,000 प्रति माह या न्यूनतम मजदूरी⁸⁶ में से जो भी अधिक हो का 20 प्रतिशत तथा केवल उन कर्मचारियों के लिए हैं जो ₹ 21,000 प्रति माह से कम वेतन ले रहे हैं। यही नहीं, प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बोनास अधिनियम की सीमा से बाहर के कर्मचारियों को लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जून 2019), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम

5.34 ₹ 47.19 लाख का अतिरिक्त व्यय

कंपनी द्वारा उत्खनन हेतु प्रति घंटा बढ़ी हुई दर लागू करके बढ़ी हुई मात्रा के लिए के दर विवेकहीन निर्धारण के कारण 2,62,163 घन मीटर खुदाई के निष्पादन पर ₹ 47.19 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) द्वारा सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत ठियोग-रोहडू सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग) के अप-ग्रेडेशन (विस्तृतीकरण व सुदृढ़ीकरण) के लिए एक कार्य⁸⁷ (अक्टूबर 2013) आबंटित किया।

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) की 125 प्रतिशत से अधिक निष्पादित मात्रा के लिए, ठेकेदार को उसके द्वारा बताई गई दरों पर कंपनी के स्वविवेकाधिकार को ध्यान में रखते हुए भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अतिरिक्त मद-2 “सड़क उत्खनन से प्राप्त अनुमोदित सामग्री सब-ग्रेड का निर्माण” हेतु नई दरों को अनुमोदन करते हुए हाइड्रोलिक उत्खनक की दरों को केवल ₹ 1,518 प्रति घंटा माना था जबकि, सड़क खुदाई और जल निकासी (मद 2.01) के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी में प्रदान की गई मात्रा के 125 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्रा के भुगतान के लिए नई दर का निर्धारण करते हुए, कंपनी ने उसी अनुबंध में अपने निर्णय के विरुद्ध उसी हाइड्रोलिक उत्खनक के लिए ₹ 1,609 की उच्च दर मानी थी जिसके लिए एक अन्य मद-2 (सड़क उत्खनन से अनुमोदित सामग्री-बोल्डर मिक्स सहित उप-ग्रेड का निर्माण) के लिए ₹ 1,518 प्रति घंटे की कम दर प्रदान की गई थी।

यदि हाइड्रोलिक उत्खनक की दर ₹ 1,518 प्रति घंटे निश्चित की जाती, तो ठेकेदार को ₹ 347 प्रति घनमीटर की भुगतान की गई दर के स्थान पर उत्खनन की दर ₹ 329 प्रति घन मीटर होती।

इस प्रकार, हाइड्रोलिक उत्खनन के लिए प्रति घंटे की उच्च दर लागू करके बढ़ी हुई मात्रा के लिए दर के विवेकहीन निर्धारण के कारण, कंपनी ने जनवरी 2017 और अक्टूबर 2017 के बीच की अवधि के दौरान किए गए 2,62,163 घन मीटर उत्खनन पर ₹ 47.19 लाख⁸⁸ का अतिरिक्त व्यय किया।

सरकार ने बताया (जून 2020) कि पर्वतीय क्षेत्र में संचालित हाइड्रोलिक उत्खनन की प्रति घंटे की दर में छह प्रतिशत की वृद्धि को 2100 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के लिए औसत वृद्धि माना गया। यह उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि एक ही खंड में और समान ऊंचाई पर एक ही मशीनरी के लिए दो दर स्वीकार्य नहीं हैं।

सिफारिश: कंपनी को समान रूप से वस्तुओं की दरों के विश्लेषण के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र रखना चाहिए।

⁸⁶ औद्योगिक कर्मियों हेतु न्यूनतम मजदूरी ₹6,300/- प्रति माह थी।

⁸⁷ वो पृथक पैकेजों के अंतर्गत (आईसीबी 5.1: ठियोग- खड़ा पत्थर एवं एनसीबी-05-11: खड़ा पत्थर से रोहडू से सी व सी निर्माण {ठेकेदार})।

⁸⁸ 2,62,163 घनमीटरx₹18 (₹347-₹329) = ₹47,18,934 (अर्थात 47.19)।

हिमाचल पथ परिवहन निगम

5.35 फास्टैग का न लगाना-नगद वापसी का लाभ न उठाना

फास्टैग की खरीद न करने तथा न लगाने के कारण कंपनी अपनी बसों द्वारा भुगतान किए गए टोल शुल्क पर ₹ 60.51 लाख की नकद वापसी का लाभ नहीं उठा सकी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए फास्टैग⁸⁹ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जो कि 25 अप्रैल 2016 से प्रभावी था और इसकी वैधता पांच साल है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक फास्टैग को ₹ 500 की लागत से खरीदा जाना था और टोल प्लाजा से गुजरने वाली प्रत्येक बस पर लगाया जाना था। फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से सभी लेनदेनों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की नकद वापसी की सुविधा प्रदान की।

एक बस के लिए एक फास्टैग खरीदने के लिए एक बार का शुल्क ₹ 400 और शामिल होने की फीस के रूप में ₹ 100 के साथ ₹ 500 प्रति बस था। इसके अतिरिक्त, फास्टैग के संचालन के लिए इस उद्देश्य हेतु संचालित किए जाने वाले चालू खाते में न्यूनतम ₹ 300 प्रति बस बनाए रखना आवश्यक था।

हिमाचल पथ परिवहन निगम (कंपनी) राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले विभिन्न रूटों पर बसें चला रहा था। इस दौरान देखा गया कि कंपनी ने अपनी बसों के लिए फास्टैग नहीं खरीदे और पांच⁹⁰ टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का नकद भुगतान कर रही थी। फास्टैग के अभाव में निगम के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (31 दिसंबर 2018 तक) के दौरान उपरोक्त टोल प्लाजा पर टोल शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 2.88 करोड़, ₹ 4.14 करोड़ और ₹ 3.92 करोड़ खर्च किए। यदि कंपनी ने अपनी बसों में फास्टैग खरीदे और लगा दिए होते तो यह ₹ 79.46 लाख⁹¹ की नकद वापसी अर्जित कर सकता था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हरियाणा रोडवेज और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम जैसे अन्य राज्य परिवहन निगमों ने अपनी बसों पर फास्टैग लगाए थे और टोल शुल्क पर नकद वापसी अर्जित कर रहे थे। पूरे बड़े के लिए ₹ 16.00 लाख⁹² के एक मुश्त प्रभारों तथा 3200 बसों के लिए चालू खातों में रखे जाने वाले ₹ 9.60 लाख के न्यूनतम शेष पर ₹ 2.95 लाख⁹³ के ब्याज प्रभारों को ध्यान में रखते हुए ₹ 60.51 लाख का शुद्ध लाभ उपलब्ध होता।

इस प्रकार, बसों पर फास्टैग न खरीदने और न लगाने के कारण कंपनी 2016-19 के दौरान अदा किए गए टोल शुल्क के भुगतान पर ₹ 60.51 लाख की नकद वापसी नहीं ले सकी।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2020) बताया कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली सभी बसों पर जून 2019 के बाद फास्टैग चिपका दिए गए हैं।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2020), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

⁸⁹ फास्टैग भारत में टोल संग्रहण की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो कि भारत के राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित है। यह बचत खाते या पूर्व भुगतान किए गए खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करती है तथा आपको नकद लेन-देन के लिए रोके बिना टोल प्लाजा से गुजरने देती है।

⁹⁰ कुराली-कीरतपुर, चण्डी मन्दिर, दप्पर, पानीपत तथा भागन।

⁹¹ चुकाया गया टोल ₹ 2.88 करोड़ (2016-17) x 10 प्रतिशत + ₹ 4.14 करोड़ x 7.5 प्रतिशत (2017-18) + ₹ 3.92 करोड़ x 5 प्रतिशत = ₹ 79.46 लाख

⁹² ₹ 3200 x ₹ 500 = ₹ 16,00,000/-.

⁹³ ₹ 9,60,000 x 10.25 प्रतिशत x 3वर्ष

5.36 छूट का लाभ न उठाना

तेल कंपनियों द्वारा दी जा रही वास्तविक छूट का पर्यवेक्षण करने में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हिमाचल पथ परिवहन निगम (कंपनी) ने एक महीने के दौरान कंपनी को आपूर्ति की गई हाई स्पीड डीजल की पूरी मात्रा के लिए मासिक आधार पर ₹ 1,050 प्रति किलोलीटर की छूट के साथ हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता (सितंबर 2015) किया। समझौते के खंड 12(डी) में यह निर्धारित किया गया कि विक्रेता की तुलना में हाई स्पीड डीजल की कम दरों के लिए कंपनी को किसी अन्य तेल कंपनी से किसी भी दृढ़ प्रतिबद्धता की स्थिति में, कंपनी हाई स्पीड डीजल की कीमत को प्रतिस्पर्धी स्तर तक कम करने के लिए बातचीत के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (विक्रेता) के अधिकृत प्रतिनिधि को बुलाएगी। यदि विक्रेता तुलनात्मक स्तर पर हाई स्पीड डीजल की कीमत को कम करने में विफल रहता है, तो विक्रेता को एक महीने का नोटिस देने के बाद कंपनी को समझौते को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर 7 नवम्बर 2015 को कंपनी द्वारा मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे ताकि कंपनी को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली छूट पर ही की जा सके। यह समझौता ज्ञापन 1 अक्टूबर 2015 से प्रभावी था।


लेखापरीक्षा में देखा गया कि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2015 से 16 प्रतिशत की दर से मूल्यवर्धित कर लगाने से पहले खरीदार को ₹ 1,050 प्रति किलोलीटर की छूट दी। इस प्रकार, प्रभावी छूट प्रति किलोलीटर ₹ 1,218 (₹ 1,050+16 प्रतिशत मूल्यवर्धित कर) थी जबकि, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 30 जून 2017 तक मूल्यवर्धित कर लगाने के बाद छूट दी थी। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जा रही छूट पर ₹ 168 प्रति किलोलीटर (₹ 1,218-₹ 1,050=₹ 168) का मूल्यवर्धित कर वहन करना पड़ा। कंपनी की इकाइयों ने इस पर समय से ध्यान नहीं दिया और परिणामस्वरूप प्रबंधन अक्टूबर 2015 से जून 2017 तक अपने चालानों में मूल्यवर्धित कर लगाने से पहले छूट देने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मामला नहीं उठा सका। कंपनी ने इस अवधि के दौरान मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 82,878.84 किलोलीटर हाई स्पीड डीजल खरीदा और छूट की राशि का लाभ, जैसा कि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा था, मूल्यवर्धित कर लगाने से पहले के बजाय मूल्यवर्धित कर लगाने के बाद उठाने के कारण ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इस प्रकार, प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही वास्तविक छूट की निगरानी में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2020) कि प्रबंधन की ओर से कोई विफलता नहीं थी क्योंकि किसी भी फर्म (मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित) ने मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तुलना में कम दरों पर हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि छूट मूल्यवर्धित कर से पहले दी जाएगी, इस प्रकार हाई स्पीड डीजल पर छूट की प्रभावी दर मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की दर से कम थी। इस प्रकार प्रबंधन समझौता ज्ञापन के क्लॉज 12(डी) के अनुसार मूल्यवर्धित कर से पहले छूट देने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इस मामले को उठाने में विफल रहा।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2020), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।


सिफारिश: कम्पनी अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु एजेंसियों की लागत की तुलना करना सुनिश्चित करें।

शिमला
दिनांक: 09 मार्च 2021


(ऋतु ढिल्लों)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 23 मार्च 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

